कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया(म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक 37 / दो–12–2 / 09

उमरिया, दिनांक 19 / 07 / 2020

विषय :– दिनांक 20 जुलाई से 25 जुलाई, 2020 तक की अवधि में न्यायालयों की लिमिटेड फंक्शनिंग (Limited Functioning) के संबंध में।

संदर्भ :– रजिस्ट्री जबलपुर का परिपत्र क्र. सी / 1778 दिनांक 19.07.2020

––00––

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर संदर्भित परिपत्र के अनुसार समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के लिए **Limited Functioning** की अवधि 20 से 25 जुलाई, 2020 तक के लिए वृद्धि कर दी गई है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्र. क्यू–12 दिनांक 04.05.2020, क्र. डी / 2377 दिनांक 27.06.2020 एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश के आलोक में कार्य निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

न्यायिक जिला स्थापना, उमरिया में नियमित न्यायालय संचालित न होकर कार्यालयीन परिपत्र क्र. क्यू / दो–12–2 / 09 दिनांक 04.05.2020 एवं विविध आदेश क्र. 30 दिनांक 27.06.2020 के द्वारा सीमित न्यायालयीन कार्य निष्पादित करने हेतु विस्तृत आदेश पूर्व में पारित किये जा चुके हैं, इसलिए उक्त आदेशों में दिये गये दिशा निर्देशों को भी आगामी अवधि दिनांक 20.07.2020 से 25.07.2020 तक लागू किया जाता है, इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी ज्ञापन, परिपत्र एवं विविध आदेशों में दिये गये निर्देशों के आलोक में ही न्यायालयीन कार्य संपादित किये जायेंगे।

रजिस्ट्री द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्रों के संदर्भ में यदि कोई न्यायालय परिसर का क्षेत्र, कंटोन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह न्यायालय परिसर कंटोन्मेंट मुक्त होने तक बंद रहेगा और उस न्यायालय के अति आवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार संबंधित न्यायाधीश द्वारा अपने घर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि न्यायाधीश का घर कंटोन्मेंट क्षेत्र में आता है तो वह न्यायाधीश न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, जब तक कि वह क्षेत्र कंटोन्मेंट से मुक्त नहीं हो जाता है।

अतः न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सही/–
(ए.के. भाटिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)

पृष्ठा. क्रमांक / दो–12–2 / 09 उमरिया, दिनांक / 07 / 2020

प्रतिलिपिः–

1 श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2 समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला उमरिया
3 समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला उमरिया
4 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उमरिया
5 प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया
6 अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उमरिया / मानपुर / बिरसिंहपुर पाली।
7 कलेक्टर, जिला उमरिया
8 पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया
9 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया
10 लोक अभियोजक, उमरिया
11 जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उमरिया
12 जेल अधीक्षक, जिला जेल, उमरिया
13 जिला जनसंपर्क अधिकारी, उमरिया
14 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उमरिया
15 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उमरिया
16 प्रशासनिक अधिकारी / जिला नाजिर, जिला न्यायालय, उमरिया
17 सिस्टम आफिसर / आई.टी. असिस्टेंट / डी.एस.ए., जिला न्यायालय, उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

19/7/2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

CIRCULAR

No.C/1778

Jabalpur Date:19.07.2020

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, for effective control over the spread of COVID-19 in the State of M.P., has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the District Courts/Family Courts in the State of M.P. as follows:

> "The limited functioning as per circular No.D/2377 dated 27.06.2020 and circular No.Q.12 dated 4th May 2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court is extended from 20th July, 2020 till 25th July, 2020 for the High Court, Principal Seat at Jabalpur and Bench at Gwalior as well as for District Courts in the State of M.P. except High Court of M.P., Bench at Indore and its Registry where the circular No.Q1/7 dated 16th July, 2020 has been enforced with effect from 17.07.202 till 24.07.2020."

For the Subordinate Courts including Family Courts at Indore, a circular No.Q2/7 dated 17.07.2020 has been issued separately.

By the order of Hon'ble the Chief Justice

19/7/2020

(Rajendra Kumar Vani)
Registrar General

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. Q-12

Jabalpur, Dated 04th May, 2020

Sub.: COVID-19 - Nation wide lock down - further directions of Hon'ble the Chief Justice.

Ref.: Order No.Q5 dated 25-03-2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.

In the reference circular, after clause– 4 and before clause– 5 following shall be added that will be applicable to all the Subordinate Courts (except District Indore, Bhopal & Ujjain) from 04/05/2020 until further orders:

4.1 **Including urgent cases, those cases shall also be taken for hearing which are at the stage of disposal, order, final hearing, remands & bails, criminal revisions, civil appeals etc. which can be decided only by hearing of Advocates of both the parties without taking any oral evidence by the Presiding Officer of the concerned Court. Presiding Officers are also directed to request to the Learned Advocates to file the written arguments.**

4.2 **The requirements of court staff shall be arranged in such a manner that no rush should be in the court premises but at the same time no work should suffer due to shortage of staff, for this purpose employees may be called in shift and if possible only 1/3 or 1/4 staff may be called on each working day, except officers/employees residing in Containment Zones/Hotspots, with further instructions that the remaining staff will remain available at his residence during the office hours and if required be called at any time, no one shall leave his residence for non-official purpose without permission of the concerned Presiding Officer.**

The District Judges shall ensure that at every place where Advocates and public is entering in Court premises the protocol of wearing mask, sanitization and social distancing shall be strictly followed and for this purpose circles with minimum one meter distance be made. The Guidelines issued by High Court for conducting hearing through Video Conferencing and other Guidelines issued by High Court, Central & State Government to combat with outspreading of Coronavirus (Covid-19) shall be followed in letter & spirit. The Clause– 22 of VC Guidelines dated 20/04/2020 will be read in consonance with these amendments.

The progress report by all District & Sessions Judges shall be sent to the Registry every week i.e. up to every Sunday morning for weekly review.

BY ORDERS OF HON'BLE
THE CHIEF JUSTICE

4/5/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. D/.2377

Jabalpur, dated 27.June, 2020

Sub: Extension of operation of Circular No. Q-5 dated 25.03.2020, Q/12 dated 04.05.2020, C/1455 dated 19th June, 2020 & other circulars and clarifications issued in this regard.

Ref: Circular No. Q/12 dated 04.05.2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur (copy enclosed).

Earlier in pursuance to the public declaration by Hon'ble The Prime Minister of India on 24th March 2020 the lock down started and from time to time, it was extended. In this regard, previously the Circular No. Q-5 dated 25.03.2020 was issued and only urgent work in subordinate courts was started thereafter through various orders, circulars, clarifications restricted functioning of the High Court and its Registry as well as of the Subordinate Courts was started from 4th May, 2020 and that is continuing till 27th June, 2020.

To avoid any possibility of spreading Corona cases in or all surrounding areas of court campus/residence of Judicial Officers. Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct as under:-

(i) The limited functioning as per Circular no. Q-12 dated 4th May, 2020 of the High Court as well as Subordinate Courts will continue from 29th June, 2020 till 4th July, 2020.

(ii) The District Court Bhopal and Ujjain will start limited functioning as per circular dated Q/12, dated 4th May, 2020, Circular no. A/1214 dated 5th June, 2020 and other circulars issued from time to time.

(iii) In the District Court Indore only urgent matters will be heard.

By Order of Hon'ble The Chief Justice,

27/6/2020

(Rajendra Kumar Vani)
Registrar General

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया(म.प्र.)

15

:: परिपत्र ::

क्रमांक / 9 /दो–12–2/09/ उमरिया, दिनांक 04.05.2020

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा दिये गये आगामी दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक क्यू–2, जबलपुर दिनांक 22.03.2020, क्यू–4, जबलपुर दिनांक 22.03.2020, क्यू–5, जबलपुर दिनांक 25.03.2020, क्यू–6 जबलपुर, दिनांक 14.04.2020, क्यू–11 जबलपुर दिनांक 02.05.2020 एवं क्यू–12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020

–oooooo–

भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु दिनांक 24.03.2020 को देशव्यापी सम्पूर्ण लॉकडाउन की सार्वजनिक घोषणा की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डी, दिनांक 24.03.2020 में वर्णित शर्तों के अधीन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के जमाव के कारण कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन किया गया था, जिसे दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक बढ़ाया गया है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी किये गये सन्दर्भित परिपत्रों के अतिरिक्त परिपत्र क्रमांक क्यू–5, दिनांक 25.03.2020 जारी कर तत्काल प्रभाव से अधीनस्थ न्यायालयों एवं कुटुम्ब न्यायालयों में कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए कोई न्यायालयीन कार्य न किये जाने की घोषणा की गई थी। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक क्यू–11 जबलपुर दिनांक 02.05.2020 के द्वारा उक्त आदेश को दिनांक 17.05.2020 तक के लिये बढ़ाया गया है एवं परिपत्र क्रमांक क्यू–12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित करते हुए क्लाज 4(1) एवं 4(2) संयोजित किये गये हैं।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा की गई घोषणा के आलोक में मैं राजेश कुमार तिवारी, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया पूर्व परिपत्र दिनांक 02.05.2020 को अधिक्रमित करते हुए एवं उक्त परिपत्र द्वारा पूर्व में जारी न्यायाधीशगण के ड्यूटी चार्ट को अपास्त करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ:-

(1) दिनांक 17.05.2020 तक जिला न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय एवं अधीनस्थ तहसील न्यायालय में अधिवक्तागण एवं पक्षकारों का प्रवेश पूर्णतः बन्द रहेगा एव विशेष अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश निषेधित रहेगा।

Scanned by CamScanner

(2) अति–आवश्यक प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य के सम्बन्ध मे सम्पर्क करने हेतु प्रशासनिक अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह महरवार के मोबाइल नम्बर/व्हाट्सप नम्बर 9340637998 एवं उप प्रशासनिक अधिकारी श्री शम्भूनाथ ओझा उमरिया के मोबाइल नम्बर/व्हाट्सप नम्बर एवं 9713813803 तथा न्यायालय की ई–मेल आई.डी. dcumaria-mp@nic.in है।

(3) सभी न्यायिक अधिकारीगण दिनांक 05.05.2020 से आगामी आदेश तक परिपत्र मे दिये गये निर्देशानुसार न्यायालयीन समय मे अपने-अपने न्यायालय के न्यूनतम आवश्यक कर्मचारीगण जो कि कन्टेनमेंट एरिया मे निवासरत नही है, सहित उपस्थित होकर अति–आवश्यक कार्य एवं निर्णय, आदेश, रिमाण्ड एवं जमानत, आपराधिक पुनरीक्षण, सिविल अपील, अन्तिम सुनवाई आदि के प्रकरण जो कि केवल अधिवक्ताओं को सुनकर बिना मौखिक साक्ष्य के निराकृत किये जा सकते है, की सुनवाई करेंगे।

(4) न्यायिक अधिकारीगण द्वारा उक्त सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी जिसके सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। अधिवक्तागण अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रकरण की सुनवाई मे भाग ले सकेंगे। किसी कारणवश आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई सम्भव न होने की दशा मे न्यायालय परिसर में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सिंगल प्वाइंट मे उपस्थित होकर न्यायालय को सम्बोधित कर सकेंगे। न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण से लिखित तर्क भी दिये जाने की अपेक्षा कर सकते है, जिसे अधिवक्तागण ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्त न्यायिक अधिकारीगण प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे, ताकि समय पर प्रगति प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जा सके।

(5) यह कि इस समयावधि में जिनका अति–आवश्यक प्रकृति का कार्य न्यायालय में हो वे ही न्यायालय में आयेंगे, जिससे न्यायालय मे अनावश्यक भीड़ न हो। जिन कर्मचारियों को आवश्यक कार्य हेतु न्यायालय मे नही बुलाया गया है, वे न्यायालयीन समय मे अपने आवास मे ही रहेंगे एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना अपने आवास से बाहर नही जायेंगे, उन्हे किसी भी समय आवश्यक कार्य होने पर न्यायालय मे बुलाया जा सकता है।

(6) पुलिस द्वारा अभियुक्त का रिमाण्ड सम्बन्धित थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त को उपस्थित रखते हुए लिया जा सकता है। थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड लिया जाना किसी कारणवश सम्भव न होने की दशा मे अभियुक्त को न्यायालय भवन मे स्थापित उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष मे उपस्थित रख कर रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित कराई जावे। अधिवक्ताओं एवं अभियोजन अधिकारियों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जावेगी।

(7) आपवादिक स्थिति मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई मे कोई तकनीकी बाधा आने पर उक्त कार्य के लिये सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति अपना चेहरा मास्क से अच्छी तरह से ढक कर और हाथो को सेनेटाइजर/साबुन से धोकर न्यायाधीश से न्यूनतम 6 फीट की दूरी से अपना पक्ष रख सकेंगे।

Scanned by CamScanner

(8) थाना प्रभारी द्वारा केस डायरी एवं रिमाण्ड हेतु आवेदन पत्र स्केन कर सम्बन्धित न्यायाधीश के व्यक्तिगत ई–मेल आई.डी. पर अथवा जिला न्यायालय की ई–मेल आई.डी. पर ही प्रेषित किये जावें। मूल केस डायरी पेश न की जावे।

(9) पुलिस द्वारा रिमाण्ड के लिये अभियुक्त को प्रस्तुत किये जाने अथवा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से थाने से ही उसका रिमाण्ड लिये जाने की स्थिति में जिला जेल में भेजे जाने के पूर्व उसे मेडिकल के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा और कोविड–19 के संक्रमण की जांच कराई जाना तथा मेडिकल प्रमाण पत्र केस डायरी में संलग्न करना आवश्यक होगा।

(10) इस अवधि में न्यायालय में प्रवेश करने वाले सभी न्यायाधीशगण, अभियोजन अधिकारी, अधिवक्तागण, पक्षकारगण, पुलिस कर्मचारीगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं अभियुक्तगण आवश्यक रूप से मास्क पहनेंगे और सेनेटाइजर / साबुन से अपने हाथ धोकर स्वच्छ रखेंगे एवं सामाजिक दूरी न्यूनतम एक मीटर का पालन कठोरता से किया जावेगा।

उक्त निर्देशों का सभी सम्बन्धित कडाई से पालन सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही बरते जाने पर उनके विरुद्ध कडी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः– रजिस्ट्री परिपत्र कमांक क्यू–12
दिनांक 04.05.2020

(राजेश तिवारी)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)
उमरिया, दिनांक 04 / 05 / 2020

पृष्ठा. क्रमांक 8 / दो–12–2 / 09
प्रतिलिपिः–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उमरिया
3 समस्त न्यायिक अधिकारी एवं समस्त अनुभागों के प्रभारी अधिकारी उमरिया / मानपुर / बिरसिंहपुर पाली
4 कलेक्टर, जिला उमरिया
5 पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया
6 अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उमरिया / मानपुर / बिरसिंहपुर पाली।
7 शासकीय लोक अभियोजक, उमरिया
8 जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उमरिया
9 जेल अधीक्षक, जिला जेल, उमरिया
10 जिला विधिक सहायता अधिकारी, उमरिया
11 प्रशासनिक अधिकारी / उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उमरिया

Scanned by CamScanner

12 प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया/परिवार न्यायालय, उमरिया

13 सिस्टम आफिसर/आई.टी. असिस्टेंट/डी.एस.ए., जिला न्यायालय, उमरिया

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14 जिला नाजिर, जिला न्यायालय उमरिया

15 समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिला नाजिर रजिस्ट्री परिपत्र में दिये गये सामाजिक दूरी के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय परिसर में दूरी बनाये जाने एवं सेनेटाइजेशन के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

5/5/2020

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)

Scanned by CamScanner

158

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया(म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

क्रमाक 30 / दो–12–2 / 09 उमरिया, दिनाक 27/06 / 2020

विषय :– न्यायालयो की लिमिटेड फक्शनिग (Limited Functioning) की अवधि 29 जून से 04 जुलाई, 2020 तक वृद्धि करने बावत्।

सदर्भ :– रजिस्ट्री जबलपुर का परिपत्र क्र. डी / 2377 दिनाक 27.06.2020

––00––

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर संदर्भित परिपत्र के अनुसार समस्त अधीनस्थ न्यायालयो के लिए Limited Functioning की अवधि 29 जून से 04 जुलाई, 2020 तक के लिए वृद्धि कर दी गई है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी परिपत्र क्र क्यू–5 दिनाक 25.03.2020, क्यू–12 दिनाक 04.05.2020 एवं क्र. सी / 1455 दिनांक 19.06.2020 के आलोक मे दिये गये निर्देशानुसार कार्य निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस न्यायिक जिला स्थापना उमरिया के कार्यालयीन परिपत्र क्र. क्यू/ दो–12–2 / 09 दिनाक 04.05.2020 एवं विविध आदेश क्र. 20 दिनाक 30.05.2020 के द्वारा सीमित न्यायालयीन कार्य निष्पादित करने हेतु विस्तृत आदेश पूर्व मे पारित किये जा चुके हैं, इसलिए उक्त आदेशो मे दिये गये दिशा निर्देशों को भी आगामी अवधि दिनाक 29.06.2020 से 04.07.2020 तक लागू किया जाता है, इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी ज्ञापन, परिपत्र एव विविध आदेशों मे दिये गये निर्देशों के आलोक मे ही न्यायालयीन कार्य सपादित किये जायेंगे।

संदर्भित पत्र मे यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई न्यायालय परिसर का क्षेत्र केंटोन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह न्यायालय परिसर केंटोन्मेंट मुक्त होने तक बद रहेगा और उस न्यायालय के अति आवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार संबधित न्यायाधीश द्वारा अपने घर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि न्यायाधीश का घर केंटोन्मेंट क्षेत्र मे आता है तो वह न्यायाधीश न्यायालय में उपस्थित नही होंगे, जब तक कि वह क्षेत्र केंटोन्मेंट से मुक्त नही हो जाता है।

अत न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

संलग्न :– रजिस्ट्री जबलपुर का परिपत्र
क्र. डी / 2377 दिनांक 27.06.2020

Sd
(ए.के. भाटिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)

पृष्ठा. क्रमांक 813 / दो–12–2 / 09 उमरिया, दिनांक 27/06 / 2020

प्रतिलिपि:–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला उमरिया
3. समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला उमरिया
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उमरिया
5. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया
6. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उमरिया / मानपुर / बिरसिंहपुर पाली।
7. कलेक्टर, जिला उमरिया
8. पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया
9. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया
10. लोक अभियोजक, उमरिया
11. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उमरिया
12. जेल अधीक्षक, जिला जेल, उमरिया
13. जिला जनसंपर्क अधिकारी, उमरिया
14. प्रशासनिक अधिकारी / जिला नाजिर, जिला न्यायालय, उमरिया
15. सिस्टम आफिसर / आई.टी. अस्सिटेट / डी.एस.ए., जिला न्यायालय, उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)

Scanned with CamScanner